


<p>द्वितीय हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>रामजीलाल बनाम कैलाश चन्द सैनी</p> <p>48/23 जीसीएमस अपील संख्या 2023/187</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.07.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि इस प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार यादव, आर.ए.एस का स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस मिसल स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। यह प्रार्थना पत्र जवाबहीन (इनफक्च्युस) हो चुका है। अतः उपर्युक्त आधार पर प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण जवाबहीन (इनफक्च्युस) हो जाने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण जवाबहीन (इनफक्च्युस) हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ़तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, जयपुर </p>	